रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1970/फाल्गुन 9, 1891

No. 70] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1970/PHALGUNA 9, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### ORDERS

*New Delhi, the 28th February 1970*

S.O. 835.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 581, dated the 4th March, 1963, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 816, dated the 4th March, 1968 and the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 922, dated the 3rd March, 1969, the management of the industrial undertaking known as the Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited, Amalner (Maharashtra), had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 3rd March, 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that management of said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 3rd September, 1970.

[No. F.13(1)/68-Tex(G)-I.]

## विदेशी व्यापार मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1970

**का० आ० 835**:—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 816, दिनांक 4 मार्च, 1968 और भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के का० आ० संख्या 922, दिनांक 3 मार्च, 1969 के साथ पठित भारत सरकार के भतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 581, दिनांक 4 मार्च, 1968 द्वारा प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अमालनेर (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऊपर वर्णित अन्तिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा 3 मार्च, 1970 तक की कालावधि के लिये, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, ले लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा उस औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छः मास की अतिरिक्त कालावधि के लिये बना रहना चाहिए ।

अतएव अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित अन्तिम आदेश, 3 सितम्बर, 1970 की कालावधि तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[सं० फा० 13(1)/68-वस्त्र (जी)-]

**S.O. 836.**—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in continuation of the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce Nos. S.O. 2082, dated the 10th June, 1968, S.O. 4652, dated the 30th December, 1968 and the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 923, dated the 3rd March, 1969, the Central Government hereby extends the term of Shri T. G. Chowdhari for a further period upto and inclusive of the 3rd September, 1970.

[No. F.13(1)/68-Tex(G)-II.]
DEVINDAR NATH, Jt. Secy.

**का० आ० 836**:—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 2082, दिनांक 10 जून, 1968, का० आ० 4652, दिनांक 30 दिसम्बर, 1968 और भूतपूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 923, दिनांक 3 मार्च, 1969 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री टी० जी० चौधरी की पदावधि को 3 सितम्बर, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिये बढ़ाती है ।

[सं० फा० 13(1)-वस्त्र (जी०)/68-II ।]

देवेन्द्र नाथ, संयक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970